न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :– यशपाल आहूजा आर.ए.एस.

अनवान :– राजस्व वाद संख्या 110/2017

1. लाजवन्ती धर्मपत्नी श्री होशियारचन्द जाति अरोड़ा निवासी लट्ठावाली तहसील व जिला श्रीगंगानगर हाल वार्ड नम्बर 10 मकान नम्बर 420 हनुमानन चौक पुरानी आबादी श्रीगंगानगर।

– – वादीया

–:: बनाम ::–

1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर (राज.)

– – प्रतिवादी

दावा अन्तर्गत धारा 88, आर.टी.ए. बाबत घोषणा एवम् धारा 136 एल.आर. एक्ट अधिनियम बाबत दुरूस्ती

–:: निर्णय ::– **दिनांक :– 24.06.2017**

वादीया ने यह वाद अन्तर्गत धारा 88, आर.टी.ए. बाबत घोषणा एवम् धारा 136 एल.आर. एक्ट अधिनियम बाबत दुरूस्ती के तहत इस न्यायालय में प्रस्तुत किया जिसका संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है, कि चक 9 एम.एल. तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 35/49 (मुताबिक जमाबन्दी सम्वत् 2067–2070) का मुरब्बा नम्बर 12 व 23 की कुल 5.743 हैक्टर नहरी कृषि भूमि में से 1.872 हैक्टर कृषि भूमि वादीया के नाम से दर्ज कागजात माल है। उक्त भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादिया का नाम धनी बाई उर्फ धनबाई अंकित हो गया है। नकल जमाबन्दी संलग्न वाद पत्र है।

वादीया का सही व पूरा नाम लाजवन्ती है। तथा वादीया के वोटर पहचान पत्र व आधार कार्ड में सही नाम लाजवन्ती है। नकल पहचान पत्र व आधार कार्ड संलग्न वाद पत्र है।

सरपंच ग्राम पंचायत द्वारा भी प्रमाण पत्र (तस्दीक) जारी की गई है कि वादीया का सही नाम लाजवन्ती है। वादीया को पीहर में व घर पर तथा गांव में धनबाई व धनी नाम से भी पुकारा जाता था इसलिये सहवन से उक्त भूमि क राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम धनीबाई उर्फ धनबाई अंकित हो गया है। जबकि सही व पूरा नाम लाजवन्ती है। सरपंच द्वारा जारी तस्दीक संलग्न वाद पत्र है।

उक्त नाम धनीबाई उर्फ धनबाई वादीया लाजवन्ती का ही दूसरा नाम है जो घर पर पुकारा जाता था जबकि सही नाम लाजवन्ती है। वादीया द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 को कई बार राजस्व रिकार्ड में वादीया का सही नाम दर्ज करनें के लिये आवेदन/निवेदन किये है मगर उन्होनें वादीया का नाम सही करनें से इन्कार कर दिया है इस कारण यह वाद पत्र लाना आवश्यक हो गया है। तथा यही वाद कारण है।

अतः वादपत्र पेश कर निवेदन है, कि वाद पत्र वादीया स्वीकार किया जाकर वादीया का नाम लाजवन्ती घोषित किया जावे तथा वादीया की कृषि भूमि वाके चक 9 एम. एल. तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 35/49 का मुरब्बा नम्बर 12 व 23 की कुल 5.743 हैक्टर नहरी कृषि भूमि में से 1.872 हैक्टर कृषि भूमि में वादीया का नाम धनीबाई उर्फ धनबाई के स्थान पर लाजवन्ती दर्ज करनें का आदेश फरमाया जावे।

लगातार 2

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिऐ सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी की और से पैरोकार राज/नायब तहसीलदार चूनावढ़ द्वारा जबाब पेश किया गया जिसके अन्तर्गत कथन किया गया कि वाद में नाम संशोधन हेतु वाद वादीया स्वंय साबित करें।

वादीया द्वारा अपनें वाद के समर्थन में बतौर साक्ष्य सरंपच ग्राम पंचायत लट्ठावाली (9 एम.एल.) का प्रमाण पत्र पेश किया जिसके अन्तर्गत कथन किया गया कि धनबाई उर्फ धनीबाई पत्नी श्री होशियार चन्द निवासी 9 एम.एल. लट्ठावाली है जिनका शादी के बाद नया नाम लाजवन्ती पत्नी श्री होशियार चन्द निवासी 9 एम.एल. लट्ठावाली है इन्हे मै व्यक्तिगत रूप से जानती हूँ। इस प्रकार इनका सही नाम लाजवन्ती पत्नी श्री होशियार चन्द निवासी 9 एम.एल. लट्ठावाली है।

न्याय आपके द्वारा अभियान 2017 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत लाधुवाला में आयोजित शिविर में वादीया के परिवार में वादीया के पुत्र व पुत्री उपस्थित होकर वाद पत्र में चाहे गये अनुतोष के सन्दर्भ में कोई एतराज नहीं किया गया। सहखातेदार बलबीरसिंह द्वारा वाद पत्र के समर्थन में शपथ पत्र पेश कर वाद पत्र स्वीकार किया जाकर नाम दुरूस्ती हेतु निवेदन किया।

उभयपक्ष को सुना गया पत्रावली का अवलोकन किया गया बाद अवलोकन वाद वादी स्वीकार किया जाना न्यायोचित पाया गया।

–:: आदेश ::–

अतः वाद वादीया स्वीकार किया जाकर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 सपठित राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 136 के अन्तर्गत चक 9 एम.एल. तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 35/49 का मुरब्बा नम्बर 12 व 23 की कुल 5.743 हैक्टर नहरी कृषि भूमि में से 1.872 हैक्टर कृषि भूमि में वादीया का नाम धनीबाई उर्फ धनबाई के स्थान पर लाजवन्ती दर्ज करनें का आदेश दिया जाता है।

तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि समस्त प्रकार से भार मुक्त होनें की दशा में उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी /गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

खर्चा फरीकैन अपना–अपना वहन करेगें। आदेशानुसार पर्चा डिक्री जारी की जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

आदेश आज दिंनाक 24.06.2017 को लिखवाया जाकर राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार अभियान 2017 के अन्तर्गत खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(यशपाल आहूजा)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलेक्टर
श्रीगंगानगर